Income Certificate for RTE (Right to Education)

This certificate is used as a proof of your income to show that you are eligible for government benefits under different schemes. Whether you're applying for RTE admission, scholarship, or any other sarkari yojana, the authorities usually ask you to attach your income proof along with the application.

परिशिष्ट-6

आय का घोषणा पत्र

(पिता / माता / पित / पत्नी / संरक्षक द्वारा भरा जायेगा)

आरटीई के तहत निशुल्क प्रवेश हेतु 202 -2 के लिए प्रारूप भाग–I

1. प्रार्थी (विद्यार्थी के पिता/माता/पति/पत्नी/संरक्षक) का नाम	
पिता / पति का नाम श्रीआयुवर्षमाह	
2. निवास स्थान का पूर्ण पता:—	
3. आय का घोषणा पत्र देने वाले का पैन नम्बर (बीपीएल को छोड़कर)(जो स्पष्ट अंकित हो)	
4. आय का घोषणा पत्र देने वाले का आधार नम्बर(जो स्पष्ट अंकित हो)	
 आय का घोषणा पत्र देने वाले का भामाशाह नम्बर . 	
6. आय का घोषणा पत्र देने वाले के समस्त स्त्रोतों से सम्मिलित वार्षिक आय का विवरण:— (सम्बधित पर चिन्हित करें, राजकीय सेवा में होने पर नियोक्ता द्वारा जारी किया गया फार्म न. 16 भी संलग्न करें)	
(1) कृषि भूमि() आदि से आयः रू	(2) वृत्ति, सेवा लाभ, अनुदान, निकाय आदि से आयः रू
(3) वेतन, पेंशन, भत्ते, मानदेय, नियोजन, मजदूरी आदि से आयः रू	(4) मशीनरी, किराये, दुकानदार, कारोबार, व्यवसाय या ब्याज, लामांश से आयः रू
(5) अन्य स्त्रोतों से आयः रू.	कल वार्षिक आयः रू
(5) अन्य स्त्रोतों से आयः रू	
दिनांक	
हस्ताक्षर	
· ·	आय की घोषणा करने वाले का नाम मय विद्यार्थी से सम्बंध
प्रारूप भाग-11	
(दो उत्तरदायी व्यक्तियों के साक्ष्य प्रमाण-पत्र)	
हम शपथ पूर्वक बयान करते है कि प्रार्थी / प्राथियाँपुत्र / पुत्री / पत्नी श्री	
हम साक्षी है। हमारी जानकारी में उक्त वर्णित आय के अलावा प्रार्थी / प्रार्थियों के पास आय का कोई अन्य स्त्रोत नहीं है।	
(1) हस्ताक्षर / उत्तरदायी व्यक्ति	(2) हस्ताक्षर / उत्तरदायी व्यक्ति
का नाम(पद नाम, दिनांक मय मो.न.)	का नाम (पद नाम, दिनांक मय मो.न.)
नोट :-(उत्तरदायी व्यक्ति यथा-संसद सदस्य/विधानसभा सदस्य/जिला प्रमुख/प्रधान/जिला परिषद	
सदस्य/सरपंच/वार्ड पंच/महापौर/उप महापौर/नगर निगम/नगर पालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/वार्ड पार्षद/वार्ड मेम्बर/राजकीय अधिकारी/कर्मचारी से अभिशंषा करवाए।)	
प्रारूप भाग-III (शपथ -पत्र)	
मेंशपथपूर्वक उद्घोषणा करता/करती हूँ कि मेरा/मेरी एवं मेरे पति/पत्नी की(जो भी लागू) समस्त स्त्रातों से कुल वार्षिक आय रूअक्षरे रू.	
मेरा / मेरी एवं मेरे पति / पत्नी की(जो भी लागू) समस्त स्त्रातों से कुल वार्षिक आय रूअक्षरे रू.	
है। उक्त शपथ-पत्र मेरी निजी जानकारी से लिखा गया है, जो सही है। इसमें कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है और न ही असत्य लिखा है। ईश्वर साक्षी है। इस शपथ पत्र में अंकित तथ्य एवं शपथपूर्वक उद्घोषित वार्षिक आय का	
गलत अथवा मिथ्या होना अथवा किसी तथ्यों में फेरबदल करना, किसी तथ्य को छुपाना, तथ्यों को तोड़—मरोड़ कर पेश	
करना, सरकार को गुमराह करने का प्रयास करना इत्यादि भारतीय दण्ड संहिता धारा 177, 197, 198, 199, 200 एवं	
420 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आते हैं। मैं , यह अच्छी तरह समझता हूं कि मेरे द्वारा उपरोक्त कृत्य	
करने पर मेरे विरुद्ध उपरोक्त धाराओं में फौजदारी मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जा सकती है तथा दोषी पाए जाने पर	
मुझे 3 से 7 वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है।	
हस्ताक्षर एवं नाम शपथग्रहिता प्रारूप भाग—IV (प्रमाणीकरण)	
उपरोक्त (शपथकर्ता का नाम)पिता / पित का नाम	
आयुने मेरे समक्ष उपस्थित होकर शपथपूर्वक उक्तानुसार अभिकथन किया है, जिसे प्रमाणीकृत की पहचान मेरे के द्वारा की गई है।	
हस्ताक्षर	
प्रमाणीकरण अधिकारी	
का नाम मय पद एवं सील	
(कार्यपालक मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/नायबतहसीलदार/नगर निकायों के अधिकारी/राजपत्रित अधिकारी/अन्य प्राधिकृत	

https://myloanmoney.com/

अधिकारी नोटरी पब्लिक / ऑथ कमिश्नर (रजिस्ट्रेशन क्रमांक) का नाम व पद मय मुहर